रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2011/ज्येष्ठ 4, 1933
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2011/JYAISTHA 4, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2011

सा.का.नि. 404(अ).—केन्द्रीय सरकार, मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 53 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) और धारा 100 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बंगलौर मैट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनिमय" से मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;
(ख) "दावा आयुक्त" से अधिनियम की धारा 48 के अधीन नियुक्त दावा आयुक्त अभिप्रेत है ;
(ग) "आवेदक" से अधिनियम की धारा 58 के अधीन दावा आयुक्त को आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
(ङ) "विधिक व्यवसायी" का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (i) में उसका है ;
(च) "विधिक प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधि की दृष्टि में मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है ;
(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
(ज) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु उसमें परिभाषित नहीं है और मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) में परिभाषित हैं वही अर्थ है जो क्रमशः उस अधिनियम में है ।

3. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया – (1) बंगलौर मैट्रो रेल के कामकाज के दौरान घटित ऐसी दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के संदाय के लिए, जिसमें किसी व्यक्ति मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा किसी संपति को कोई नुकसान अंतर्वलित है, दावा आयुक्त को आवेदन, या तो आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधियों द्वारा दूसरी अनुसूची में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा ;

परंतु दावा आयुक्त को कोई आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक आवेदन अच्छी गुणवत्ता वाले कागज के एक ओर दोहरे अंतरल में स्पष्ट रूप से टंकणित होगा ।

4. आवेदन की संवीक्षा – (1) दावा आयुक्त प्रत्येक आवेदन पर ऐसी तारीख का पृष्ठांकन करेगा जिसको नियम 3 के अधीन यह प्रस्तुत या प्राप्त किया जाता है और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) संवीक्षा करने पर यदि आवेदन उचित पाया जाता है तो उसे रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और क्रम संख्यांक दिया जाएगा ।

(3) संवीक्षा करने पर यदि आवेदन में कोई दोष पाया जाता है और अवलोकित दोष औपचारिक प्रकृति का है तो दावा आयुक्त, आवेदक को, अपनी उपस्थिति में उसका सुधार करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और यदि दोष औपचारिक प्रकृति का नहीं है तो दावा आयुक्त को दोष का सुधार करने के लिए ऐसा समय अनुज्ञात कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) यदि आवेदक उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर दोष सुधारने में असफल रहता है तो दावा आयुक्त, आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और तदनुसार आवेदक को अधिसूचित कर सकेगा ।

(5) व्यथित व्यक्ति द्वारा उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील, ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर की जा सकेगी और दावा आयुक्त द्वारा ऐसी अपील पर विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा ।

5. मैट्रो रेल प्रशासन को सूचना – (1) दावा आयुक्त, बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन का सूचना, उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली सुनवाई की तारीख को आवेदन के विरुद्ध कारण बताने के लिए जारी करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना के साथ आवेदन की एक प्रति संलग्न की जाएगी ।

(3) यदि बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को हाजिर नहीं होता है या हाजिर होता है और दावे को मंजूर कर लेता है तो दावा आयुक्त तुरंत आवेदन का निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(4)यदि बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन दावे का विरोध करता है तो वह सुनवाई की तारीख को या उसके पूर्व ऐसे दस्तावेज की प्रति के साथ, जिसका उसने अवलम्ब लिया है, उत्तर फाइल कर सकेगा और ऐसा उत्तर तथा दस्तावेज की प्रतियां अभिलेख का भाग रूप् होंगी ।

6. शपथपत्र का फाइल किया जाना – (1) दावा आयुक्त आवेदक और मैट्रो रेल प्रशासन को अपने दावे के, यदि कोई हो, समर्थन में शपथपत्र द्वारा साक्षय देने का निदेश दे सकेगा ।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां दावा आयुक्त मामले के उचित विनिश्चय के लिए यहआवश्यक समझाता है वहां वह किसी अभिसाक्षी की प्रति परीक्षा का आदेश दे सकेगा ।

7. प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाइल किया जाना – (1) बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन आवेदन की सुनवाई की तारीख को या उसके पूर्व आवेदन और दस्तावेजों की प्रतियों का उत्तर फाइल कर सकेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन फाइल किए गए उत्तर में बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन आवेदन में कथित तथ्यों को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार, इंकार या स्पष्ट करेगा और अपने उत्तर में ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का कथन करेगा जो आवश्यक हो ।

8. आवेदन का संक्षिप्त निपटारा – दावा आयुक्त, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यदि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसकी यह राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो आवेदन को संक्षेप्ततः खारिज कर सकेगा ।

9. आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई और निपटारा – (1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य ऐसी तारीख को, जिसके लिए ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक हाजिर होता है और बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता है तो दावा आयुक्त अपने विवेकाधिकार से सुनवाई को स्थगित कर सकेगा या आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) जहां बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन के विरुद्ध किसी आवेदन की सुनवाई एक पक्षीय की जा रही है वहां बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन दावा आयुक्त को उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि आवेदक दावा आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि सूचना की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी या उसके प्रतिनिधि को किसी पर्याप्त कारण से हाजिर होने से निवारित किया गया था तो दावा आयुक्त ऐसे निबंधनों के आधार पर जो वह ठीक समझे एक पक्षीय सुनवाई को अपास्त करने का आदेश पारित कर सकेगा और आवेदन पर कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा ।,

10. व्यतिक्रम में आवेदन का निपटारा – (1) आवेदन पर सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या किसी अन्य तारीख को, जिसके ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि हाजिर होता है और आवेदक हाजिर नहीं होता है वहां दावा आयुक्त अपने विवेकाधिकार से सुनवाई स्थगित कर सकेगा या आवेदन की व्यतिक्रम में सुनवाई कर सकेगा और निपटारा कर सकेगा ।

(2) जहां आवेदन के विरुद्ध व्यतिक्रम में किसी आवेदन की सुनवाई की जाती है और उसका निपटारा किया जाता है वहां आवेदक उसे अपास्त करने के लिए कोई आदेश करने हेतु दावा आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और यदि आवेदक दावा आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि सूचना की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी या उसे पर्याप्त कारणों से हाजिर होने से रोका गया था तो दावा आयुक्त ऐसे निबंधनों के आधार पर जो वह ठीक समझे व्यतिक्रम में खारिजी को अपास्त करने का आदेश कर सकेगा और आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

11. साक्षियों को समन करना और साक्ष्य अभिलिखित करने की पद्धति – (1) यदि कार्यवाहियों की किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को समन करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो दावा आयुक्त, ऐसे साक्षियों को हाजिर होने के लिए समन जारी करेगा जब तक कि वह यह समझता है कि उसकी हाजिरी मामले के उचित विनिश्चय के लिए आवश्यक नहीं है ।

(2) साक्षी की परीक्षा प्रारंभ होने पर दावा आयुक्त, प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा ।

परंतु यदि दावा आयुक्त ऐसा ज्ञापन नहीं करता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करेगा और लिखित में ऐसा ज्ञापन करवाएगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा ।

12. दावा आयुक्त का विनिश्चय – दावा आयुक्त दस्तावेजों, शपथपत्रों और अन्य साक्ष्य,यदि कोई हो, के परिशीलन के आधार पर यथासंभव शीघ्रता के साथ और ऐसी मौखिक दलीलों को, जो दी जाएं, सुनने के पश्चात् प्रत्येक आवेदन का विनिश्चय करेगा ।

13. आदेश का पारित और हस्ताक्षरित किया जाना – (1) दावा आयुक्त, आवेदक और बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन को सुनने के पश्चात् या तो तुरंत या उसके पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) दावा आयुक्त का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

(3) दावा आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश का निष्पादन सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में किया जाएगा और जहां तक हो सके सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे सिविल न्यायालय की डिक्री की बाबत लागू होते हैं ।

14. विनिश्चय का पुनर्विलोकन – दावा आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अभिलेख को देखने से प्रकट होने वाली किसी त्रुटि या गलती के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से दावा आयुक्त को किसी ऐसे अंतिम आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है।

(2) जहां दावा आयुक्त को यह प्रतीत होता है पुनर्विलोकन का कोई पर्याप्त आधार नहीं है वहां वह आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(3) जहां दावा आयुक्त, का पुनर्विलोकन के आवेदन में किए गए आधारों का समाधान हो जाता है और उसे न्याय के हित में समझता है तो वह आवेदन को मंजूर करेगा ।

परंतु पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन, बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन को पूर्व सूचना दिए बिना या उसे हाजिर होने के लिए और उस आदेश के समर्थन में, जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया है, सुनवाई के लिए समर्थ बनाए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा ।

15. दावा आयुक्त द्वारा आदेश या निदेश – इन नियमों की किसी बात को, ऐसे आदेश पारित करने या ऐसे निदेश देने की, जो दावा आयुक्त के आदेशों को प्रभावी करने के लिए या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो, उसकी शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझा जाएगा ।

16. विशेषज्ञों का संगम – (1) दावा आयुक्त, प्रतिकर के किसी दावे का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक ऐसे विशेषज्ञ को, जो जांच से सुसंगत किसी विषय की कोई जानकारी रखते हैं, सहबद्ध कर सकेगा ।

(2) दावा आयुक्त, उपनियम (1) के अधीन जांच से सहबद्ध व्यक्तियों को ऐसी फीस या भत्तों के संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और उसका संदाय बंगलौर मैट्रो रेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा ।

17. प्रतिकर की रकम – (1) मृत्यु या क्षतियों की बाबत संदेय प्रतिकर की रकम दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

(2) किसी ऐसी क्षति के लिए संदेय प्रतिकर की रकम, जो दूसरी अनूसूची के भाग 2 या भाग 3 में विनिर्दिष्ट नहीं है किंतु जो दावा आयुक्त की राय में ऐसी है जो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करने की उसकी संपूर्ण क्षमता से वंचित करती है, चार लाख रुपये होगी ।

(3) किसी ऐसी क्षति की बाबत संदेय प्रतिकर की रकम (दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट या उपनियम (2)में निर्दिष्ट किसी ऐसी क्षति से भिन्न) जिसका परिणाम पीड़ा और वेदना है) ऐसी होगी जो दावा आयुक्त मामले की अन्य परिस्थितियों के अतिरिक्त, चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् युक्तियुक्त अवधारित करे :

परंतु यदि एक ही दुर्घटना में एक से अधिक क्षति कारित होती है तो ऐसी प्रत्येक क्षति की बाबत प्रतिकर का संदाय किया जाएगा ।

परंतु यह और कि ऐसी सभी क्षतियों की बाबत कुल प्रतिकर अस्सी हजार रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(4) जहां किसी ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर संदत्त किया गया है जो उस रकम से कम है जिसका प्रतिकर के रूप में संदाय तब किया जाएगा जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या तत्पश्चात् व्यक्ति की क्षति के कारण मृत्यु हो जाती है, वहां मृत्यु के लिए संदेय रकम या पहले संदत्त की गई रकम के बीच के अंतर के बराबर और प्रति कर संदत्त किया जाएगा ।

(5) किसी यात्री द्वारा उसके व्यक्तिगत सामान के रूप में वहन किए जाने वाले माल की हानि, विनाश या क्षय के लिए प्रतिकर का संदाय उस सीमा तक किया जाएगा जो दावा आयुक्त मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए युक्तियुक्त अवधारित करे ।

18. प्रतिकर की सीमा -- नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी उस नियम के अधीन संदेय कुल प्रतिकर किसी भी दशा में किसी एक व्यक्ति की बाबत चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

पहली अनुसूची
(नियम 36 (1) देखिए)
प्ररूप
(नियम 3 देखिए)

यात्रियों की मृत्यु या क्षति अथवा उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत सामान के रूप में वहन किए जा रहे माल के विनाश या नुकसान की बाबत प्रतिकर के दावे के लिए मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 58 के अधीन आवेदन ।

भाग 1

मामले की तारीख और समय:

भाग 2

क्रम संख्या	संलग्न किए गए दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

आवेदक के हस्ताक्षर

दावा आयुक्त कार्यालय के उपयोग के लिए
फाइल करने की तारीख
या
डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या
1889 GI/11-2

IndiaCode

दूसरी अनुसूची
(नियम 17 (1) देखिए)
मृत्यु और क्षतियों के लिए संदेय प्रतिकर

भाग 1

क्रम संख्या	क्षति की प्रकृति	प्रतिकर की रकम (रुपये)
(1)	(2)	(3)
मृत्यु के लिए		4,00,00

भाग 2

(1)	(2)	(3)
1.	दोनों हाथों की हानि और उच्चतर स्थानो पर विच्छेदन के लिए	4,00,000
2	एक हाथ और एक पाद की हानि के लिए	4,00,000
3	टांग या उरु से दोहरा विच्छेदन या एक और टांग या उरु से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि के लिए	4,00,000
4	दृक् शक्ति की इस विस्तार तक की हानि के लिए कि दावेदार ऐसा कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक् शक्ति आवश्यक है	4,00,000
5	चेहरे की बहुत गंभीर विद्रूपता के लिए	4,00,000
6	पूर्ण बधिरता के लिए	4,00,000

भाग - 3

(1)	(2)	(3)
1.	स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए	3,60,000
2.	स्कंध से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्थूणक अंसूकट के सिरे 8 इंच से कम हो	3,20,000
3.	अंसूकट सिरे से आठ इंच से कूर्पर के सिरे के नीचे से साढ़े चार इंच से कम तक के विच्छेदन के लिए	2,80,000
4.	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे की और चारों अंगुलियों की हानि या खुर पर के सिरे से साढ़े चार इंच से नीचे तक के विच्छेदन के लिए	2,40,000
5 .	अंगूठे की हानि के लिए	1,20,000
6.	अंगूठे की और उसकी करभ-अस्थि की हानि के लिए	1,60,000
7.	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए	2,00,000
8.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए	1,20,000
9.	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
10.	अंगूठे की अंतिम अंगुलि-अस्थि की हानि के लिए	80,000
11.	दोनों पादों के विच्छेदन के लिए क जिसके परिणामस्वरूप अंतांग मात्र रह जाए	3,60,000

12.	प्रपदांगुलि- अस्थि संधि के निकट से दोनों पादों के विच्छेदन के लिए	3,20,000
13.	प्रपदांगुलि- अस्थि संधि से दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,60,000
14.	निकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,20,000
15.	निकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्थि संधि से दूर पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
16.	नितंब पर विच्छेदन के लिए	3,80,000
17.	नितंब से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्थूणक बृहत् उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर पांच इंच से अधिक लंबा न हो	3,20,000
18.	नितंब से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्थूणक बृहत् उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर पांच इंच से अधिक लंबा हो किंतु मध्योरु से आगे न हो	2,80,000
19.	मध्योरु के नीचे से घुटने के साढ़े तीन इंच तक नीचे के विच्छेदन के लिए	2,40,000
20.	घुटने के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूणक 3/12 इंच से अधिक हो किंतु 5 इंच से अधिक न हो	2,00,000
21.	अधरांगघात के साथ मेरुदंड का अस्थिभंग	2,00,000
22.	घुटने के नीचे विच्छेदन जब कि स्थूणक 5 इंच से अधिक हो	1,60,000
23.	एक नेत्र की हानि के लिए जब कि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसर नेत्र प्रसमान्य हो	1,60,000
24.	एक पाद के विच्छेदन के लिए जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	1,20,000
25.	प्रपदांगुलि अस्थि संधि के निकट से एक पाद के विच्छेदन के लिए	1,20,000
26.	अधरांगघात के बिना मेरुदंड का अस्थिभंग	1,20,000
27.	एक नेत्र की दृष्टि की हानि जब कि नेत्रगोलक में उपद्रव या विद्रुपता: न हो और दूसरा नेत्र प्रसमान्य हो	1,20,000
28.	प्रपदांगुलि अस्थि संधि से एक पाद की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
29.	नितंब के जोड़ का अस्थि भंग	80,000
30.	मुख्य अस्थि - दोनों अंगों की ऊर्वास्थि, अंतर्जांघिका का अस्थि भंग	80,000
31.	मुख्य अस्थि - दोनों अंगों की प्रगणिडका, रेडियस का अस्थि भंग	60,000
32.	पेल्विस का अस्थिभंग जिसमें जोड़ अंतर्वलित नहीं है	40,000
33	मुख्य अस्थि - एक अंग की ऊर्वास्थि, अंतर्जांघिका का अस्थि भंग	40,000
34.	मुख्य अस्थि - एक अंग की प्रगणिडका, रेडियस और अलना का अस्थि भंग	32,000

भाग - 3

दावा आयुक्त के कार्यालय में

..... आवेदक

और

मैट्रो रेल प्रशासन

के मध्य

1. आवेदक की विशिष्टियां :
 नाम और पता

2. दावे का मूल्य

3. (i) मामले के तथ्य ::
 यहाँ कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षिप्त कथन करें, प्रत्येक पैरा में यथा संभव पृथक विवाद्यक, तथ्य और अन्य बातें अंतर्विष्ट की जाएं ।

 (ii) (क) मांगे गए अनुतोष की प्रकृति
 (ख) अनुतोष का आधार

4. (i) विषय जो पहले किसी अन्य न्यायालय में फाइल न किए गए हों या लंबित न हों (बताएं कि क्या आवेदक ने उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत वर्तमान आवेदन किया गया है पूर्व में कोई दावा, रिट याचिका या वाद फाइल किया है)

 (ii) यदि आवेदकों ने पूर्व में कोई दावा, आवेदन, वाद रिट याचिका फाइल की है तो उपदर्शित करें कि वह किस प्रक्रम पर लंबित है और यदि विनिश्चय किया जा चुका है तो आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें

5. संलग्नकों की सूची

 1
 2
 3
 4
 5

IndiaCode

सत्यापन

मैं, (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आय....., निवासी.....यह सत्यापित करता हूँ /करती हूँ कि पैरा.....से पैरा.....तक में दी गई अंतर्वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सही है और पैरा.....से पैरा.....तक में दी गई अंतर्वस्तुओं पर मेरे सर्वोतम ज्ञान या मुझे दी गई विधिक सलाह के आधार पर सही होने का विश्वास किया जाता है और मैंने किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा पता

तारीख :
स्थान :

[फा. सं. के-14011/45/2010-मैट्रो]

एस. के. लोहिया, ओएसडी (शहरी परिवहन) और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2011

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of section 56 and clause (d) of sub-section (2) of section 100 read with sub-section (3) of section 53 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Bangalore Metro Railway (Procedure for Claims) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) " Act" means the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "Claims Commissioner" means the Claims Commissioner appointed under section 48 of the Act;

(c) "applicant" means a person making an application to the Claims Commissioner under section 58 of the Act;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "legal practitioner" shall have the same meaning as is assigned to it under clause (i) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(f) "legal representative" means a person who in law represents the estate of the deceased person;

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(h) "section" means a section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein and defined in the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) shall have the meanings, respectively, assigned to them in that Act.

3. **Procedure for filing applications.-** (1) The application for payment of compensation in respect of accidents involving death of, or bodily injury to, person or damage to any property occurred in the course of working of the Bangalore Metro Railway to the Claims Commissioner shall be presented in the Form given in the Second Schedule either by the applicant in person or by his duly authorised legal representative:

Provided that an application may also be sent by registered post to the Claims Commissioner.

(2) The application referred to in under sub- rule (1) shall be presented in duplicate.

(3) Every application shall be typed legibly in double space on one side of paper of good quality.

4. **Scrutiny of application.-** (1) The Claims Commissioner shall endorse on every application the date on which it is presented or received under rule 3 and sign the endorsement.

(2) If the application on scrutiny is found to be in order, it shall be registered and given a serial number.

(3) If the application on scrutiny is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Claims Commissioner may allow the applicant, to rectify the same in his presence and if the defect is not formal in nature, the Claims Commissioner may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Claims Commissioner may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and notify the applicant accordingly.

(5) An appeal against the order passed under sub-rule (4) may be preferred by the person aggrieved within fifteen days from the date of such order and such appeal shall be dealt with and disposed of by the Claims Commissioner.

IndiaCode

5. **Notice to Metro Railway Administration.-** (1) The Claims Commissioner shall issue notice to the Bangalore Metro Railway Administration to show cause against the application on a date of hearing to be specified therein.

(2) The notice referred to sub-rule (1) shall be accompanied by a copy of the application.

(3) If the representative of the Bangalore Metro Railway Administration does not appear on the date specified in the notice referred to in sub-rule (1), or appears and admits the claim, the Claims Commissioner shall forthwith proceed to dispose of the application.

(4) If the Bangalore Metro Railway Administration contests the claim, it may file a reply along with copy of such document on which it relies on or before the date of hearing and such reply and copies of the document shall form part of the record.

6. **Filing of an affidavit.-** (1) The Claims Commissioner may direct the applicant and the Bangalore Metro Railway Administration to give evidence in support to their claim, if any, by affidavit.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the Claims Commissioner consider necessary for just decision of the case, he may order cross-examination of any deponent.

7. **Filing of reply and other documents by the respondents.-** (1) The Bangalore Metro Railway Administration may file its reply to the application and copies of the documents on or before the date of hearing of the application.

(2) In reply filed under sub-rule (1), the Bangalore Metro Railway Administration shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the application and state additional facts necessary in its reply.

8. **Summary disposal of application.-** The Claims Commissioner may, after considering the application, summarily dismiss the application, if for reasons to be recorded in writing, he is of the opinion that there are not sufficient grounds for proceeding therewith.

9. **Ex-parte hearing and disposal of application.-** (1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the representative of the Bangalore Metro Railway Administration does not appear, the Claims Commissioner may, in his discretion adjourn the hearing or hear and decide the application ex-parte.

(2) Where an application has been heard ex-parte against the Bangalore Metro Railway Administration, the Bangalore Metro Railway Administration may apply to the Claims Commissioner for an order to set aside it and if the applicant satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or that its representative was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the ex-parte hearing upon such terms as it thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application.

10. **Disposal of application in default.-** (1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the representative of the Bangalore Metro Railway Administration appears and the applicant does not appear the Claims Commissioner may, in his discretion adjourn the hearing or hear and decide the application in default.

(2) Where an application has been heard and disposed of in default against the applicant, the applicant may apply to the Claims Commissioner for any order to set aside it and if the applicant satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the dismissal in default, upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day the proceeding with the application.

11. **Summoning of witnesses and method of recording evidence.-** (1) If an application is presented by any party to the proceedings for summoning of witnesses, the Claims Commissioner shall issue summons for the appearance of such witnesses unless he considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.

(2) The Claims Commissioner shall make a brief memorandum of substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds and such memorandum shall form part of the record:

Provided that if the Claims Commissioner does not make such memorandum, he shall record the reasons for his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record.

12. **Decision of the Claims Commissioner.-** The Claims Commissioner shall decide every application as expeditiously as possible on perusal of documents, affidavits

and other evidence, if any, and after hearing such oral argument as may be advanced.

13. **Order to be passed and signed.-** (1) The Claims Commissioner, after hearing the applicant and the Bangalore Metro Railway Administration, shall pass an order as he thinks fit either at once or, as soon as thereafter as may be practicable.

(2) Every order of the Claims Commissioner shall be in writing and shall be signed by him.

(3) An order made by the Claims Commissioner shall be executed as a decree of civil court and the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, so far may be, shall apply as they apply in respect of decree of a civil court.

14. **Review of decision.-** (1) Any person aggrieved by any order of the Claims Commissioner, on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, may apply for review of a final order not being an interlocutory order, to the Claims Commissioner.

(2) Where it appears to the Claims Commissioner that there is no sufficient ground for a review he shall reject the application.

(3) Where the Claims Commissioner is satisfied with the grounds made in application for review and considered it in the interest of justice, he shall allow the application:

Provided that no application for review shall be allowed without previous notice to the Bangalore Metro Railway Administration or to enable it to appear and be heard in support of the order, a review of which is applied for.

15. **Orders or directions by Claims Commissioner.-** Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Claims Commissioner to pass such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to his orders or to prevent abuse of the process or to secure the ends of justice.

16. **Association of experts.-** (1) The Claims Commissioner may, for the purpose of determining any claim for compensation associate one or more experts possessing any knowledge of any matter relevant to the inquiry.

(2) The Claims Commissioner may order for the payment of such fees or allowances to the persons associated with the inquiry under sub-rule (1), as he may consider necessary, and the same shall be paid by the Bangalore Metro Railway Administration.

1889 GI/11-4

17. **Amount of Compensation.-** (1) The amount of compensation payable in respect of death or injuries, shall be as specified in the Second Schedule.

(2) The amount of compensation payable for an injury not specified in Part II or Part III of the Second Schedule but which, in the opinion of the Claims Commissioner, is such as to deprive a person of all his capacity to do any kind of work,, shall be four lakh rupees.

(3) The amount of compensation payable in respect of any injury (other than an injury specified in the Second Schedule or referred to in sub-rule (2) resulting in pain and suffering, shall be such as the Claims Commissioner may, after taking into consideration medical evidence, besides other circumstances of the case, determine to be reasonable:

Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each such injury:

Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed eighty thousand rupees.

(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person has died or the person subsequently dies of the injury, a further compensation equal to difference between the amount payable for death or amount already paid, shall be paid.

(5) Compensation for loss, destruction or deterioration of goods being carried by the passenger as his personal baggage, shall be paid to such an extent as the Claims Commissioner may in all circumstances of the case, determine to be reasonable.

18. **Limit of Compensation.-** Notwithstanding anything contained in rule 17, the total compensation payable under that rule shall in no case exceed four lakh rupees in respect of any one person.

IndiaCode

THE First SCHEDULE

[See rule 36(1)]

FORM

(See rule 3)

Application under section 58 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) for claims for compensation in respect of death or injury of passengers or destruction or damage to the goods being carried by them as their personal baggage.

PART I

Date and Time of the Case:

PART II

Sl. No.	Description of documents attached	Page no.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

IndiaCode

Signature of the applicant

For use in Claims Commissioner's Office

Date of filing

Or

Date of Receipt by post

Registration No.

The Second SCHEDULE

[See rule 17(1)]

COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES

PART I

Sl. No.	Nature of injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
	For death	4,00,000

PART II

(1)	(2)	(3)
(1).	For loss of both hands or amputation at higher sites	4,00,000
(2).	For loss of hand and a foot	4,00,000
(3).	For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot	4,00,000
(4).	For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential	4,00,000
(5).	For very severe facial disfigurement	4,00,000
(6).	For absolute deafness	4,00,000

PART III

(1)	(2)	(3)
(1).	For amputation through shoulder joint	3,60,000
(2).	For amputation below shoulder with stump less than 8" From tip of acromion	3,20,000

(1)	(2)	(3)
(3).	For amputation from 8"from tip of acromion to less than 4 ½" below tip of olecranon	2,80,000
(4).	For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4 ½" below space tip of olecranon	2,40,000
(5).	For loss of thumb	1,20,000
(6).	For loss of thumb and its metacarpal bone	1,60,000
(7).	For loss of four fingers of one hand	2,00,000
(8).	For loss of three fingers of one hand	1,20,000
(9).	For loss of two fingers of one hand	80,000
(10).	For loss of terminal phalanx of thumb	80,000
(11).	For amputation of both feet resulting in end-bearing stumps	3,60,000
(12).	For amputation through both feet proximal to the metatarsophalangeal joint	3,20,000
(13).	For loss of all toes of both feet through the metatarsophalangeal joint	1,60,000
(14).	For loss of al toes of both feet proximal to the proximal Interphalangeal joint	1,20,000
(15).	For loss of all toes of both feet distal to the proximal interphalangeal joint	80,000
(16).	For amputation at hip	3,60,000
(17).	For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from tip of great trenchanter but not beyond middle thigh	3,20,000

IndiaCode

1889 GI/11-5

(1)	(2)	(3)
(18).	For amputation below hip with stump exceeding 5" in Length measured from tip of great trenchanter but not Beyond middle thigh	2,80,000
(19).	For amputation below middle thigh to 3 ½" below knee	2,40,000
(20).	For amputation below knee with stump exceeding 3/12" But not exceeding 5"	2,00,000
(21).	Fracture of spine with paraplegia	2,00,000
(22).	For amputation below knee with stump exceeding 5"	1,60,000
(23).	For loss of one ye without complications the other being normal	1,60,000
(24).	For amputation of one foot resulting in end-bearing	1,20,000
(25).	For amputation through one foot proximal to the metatarsophalangeal joint	1,20,000
(26).	Fracture of spine without paraplegia	1,20,000
(27).	For loss of vision of one eye without complication of disfigurement of eye ball, the other being normal	1,20,000
(28).	For loss of all toes of one foot through the metatarsophalangeal joint	80,000
(29).	Fracture of Hip-joint	80,000
(30).	Fracture of Major Bone – Femur, Tibia of both limbs	80,000
(31).	Fracture of major Bone – Humerus, Radius of both limbs	60,000
(32).	Fracture of Pelvis not involving joint	40,000
(33).	Fracture of Major Bone – Femur, Tibia of one limb	40,000
(34).	Fracture of Major Bone – Humerus, Radius and Ulna of one limb	32,000

IndiaCode

PART III

In the Office of the Claims Commissioner

Between

.....Applicant

And

Metro Railway Administration

1. Particulars of the applicant:
 Name and address
2. Value of claim –
3. (i) Facts of the case:
 Give here a concise statement of facts in chronological order, each paragraph containing, as nearly as possible, a separate issue, fact or otherwise)
 (ii) (a) Nature of relief sought
 (b) Ground of relief.
4. (i) Matters not previously filed or pending with any other Court.
 (State whether the applicant had previously filed any claim, writ petition or suit regarding the matter in respect of which the present application has been made)
 (ii) In case the applicants had previously filed any claims, application, writ petition of suit, indicate the stage at which it is pending, and if decided, attached a certified copy of the order.
5. List of enclosures.
 1.
 2.
 3.
 4.

Verification

I, (Name of the applicant) S/o, D/o, W/o.Age..... resident of do hereby verify that the contents of paragraphs..... to are true to my personal knowledge, and paragraphs to are believed to be true to the best of knowledge, or the legal advice given to me, and that I have not suppressed any material fact.

Signature of the applicant
Full Address

Date :
Place:

[F. No. K-14011/45/2010-Metro]

S. K. LOHIA, OSD (Urban Transport) & E.O. Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054..